

Neutral Citation No. - 2026:AHC:33355

निर्णय सुरक्षित होने की तिथि: 17.12.2025

निर्णय उद्घोषित होने की तिथि: 16.02.2026

निर्णय अपलोड होने की तिथि: 16.02.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 2044 वर्ष 1983

अली हसन और अन्य

.....अपीलकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादीगण

अपीलकर्तागण के अधिवक्ता : बृज राज, नरेंद्र कुमार, संजीव कुमार गुप्ता, तेजराम

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 78

माननीय अवनीश सक्सेना, न्यायमूर्ति

1. अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बृज राज एवं श्री संजीव कुमार गुप्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री चन्द्र बदन को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. यह प्राचीनतम आपराधिक अपील सात अभियुक्त-अपीलकर्ताओं द्वारा वर्ष 1983 में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत जनपद बदायूँ से दायर की गई है, जो विशेष सत्र न्यायाधीश, बदायूँ द्वारा विशेष सत्र परीक्षण संख्या 157 सन् 1982 में दिनांक 29.08.1983 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। उक्त परीक्षण थाना उझानी, जनपद बदायूँ में दिनांक 27.07.1982 को प्रातः 6:30 बजे पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 321 से उत्पन्न हुआ था, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395 (डकैती के लिए दण्ड) एवं धारा 397 (मृत्यु अथवा गंभीर चोट पहुँचाने के प्रयास सहित डकैती) से संबंधित था। इसके द्वारा विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलकर्ता संख्या 1 से 3, अर्थात् अली हसन, नरैन एवं नन्दे को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395 के अपराध में तथा अभियुक्त-अपीलकर्ता संख्या 4 से 7, अर्थात् ओमकार, हरपाल, लटूरी एवं मेहंदी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395 सहपठित धारा 397 के अपराध में दोषसिद्ध किया। फलस्वरूप, अपीलकर्ता ओमकार, हरपाल, लटूरी एवं मेहंदी को सात वर्ष के कठोर कारावास से तथा अभियुक्त अली हसन, नरैन एवं नन्दे को पाँच वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया।

3. अपील के लंबित रहने के दौरान चार अपीलकर्ता, अर्थात् नरैन पुत्र गिन्दू, नन्दे पुत्र झम्मन, ओमकार पुत्र धूम सिंह तथा मेहंदी पुत्र चुन्नी का निधन हो गया तथा दिनांक 21.02.2019 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता संख्या-2 नरैन, अपीलकर्ता संख्या-3 नन्दे, अपीलकर्ता संख्या-4 ओमकार तथा अपीलकर्ता संख्या-7 मेहंदी के संबंध में अपील उपशमित (Abated) कर दी गई।

4. अभियोजन पक्ष का मामला धनपाल (पी.डब्ल्यू.-1) द्वारा दी गई लिखित सूचना, जिसे भोलेनाथ के पुत्र जगदीश द्वारा लिखित किया गया था, से उत्पन्न होता है। उसमें यह उल्लेख किया गया है कि दिनांक 26/27.07.1982 की मध्यरात्रि लगभग 1:00 बजे,

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जब वह और उसका भाई ईश्वरी घर के निकट स्थित पशुशाला में सो रहे थे, तब उन्हें अपनी माता एवं बहनों की चीख-पुकार सुनाई दी। इस पर वह और उसका भाई ईश्वरी, नन्हे सिंह, रामलाल, प्रकाश तथा अन्य ग्रामीणों के साथ हाथों में जलती हुई टॉर्च लेकर घर की ओर दौड़े और देखा कि बदमाश उनकी माता एवं बहनों को मार-पीट रहे थे तथा घर का सामान लूट रहे थे। सूचक तथा अन्य ग्रामीणों, जिनमें उसका भाई भी सम्मिलित था, द्वारा बदमाशों को ललकारा गया, जिस पर वे घर से बाहर निकले और उन्हें टॉर्च की रोशनी में पहचान लिया गया। मेहंदी के पास बन्दूक थी, हरपाल, ओमकार तथा लटूरी के पास देशी तमंचे थे तथा अन्य अभियुक्तों के हाथों में लाठियाँ थीं। बाहर निकलते समय अभियुक्तों ने दो फायर किए और सूचक एवं अन्य ग्रामीणों को उनका पीछा न करने की धमकी दी। इसके प्रत्युत्तर में गंगा राम ने भी अपनी लाइसेंसी बन्दूक से तीन फायर किए। इसके बाद अभियुक्त दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। डकैती की इस घटना में सूचक की माता एवं बहनें गंभीर रूप से घायल हो गईं। प्राथमिकी से यह भी ज्ञात होता है कि सूचक के घर में ₹6,000/- नकद रखे हुए थे, जिनमें ₹3,000/- प्याज की बिक्री की राशि तथा ₹3,000/- भूमि विक्रय के अग्रिम धन के रूप में थे। अभियुक्त ₹3,000/- लूट ले गए, किन्तु शेष ₹3,000/- नहीं खोज सके क्योंकि वह छिपाकर रखे गए थे। अभियुक्त नौ अन्य वस्तुएँ भी लूटकर ले गए, जिनमें एक चाँदी की हँसली (2.450 ग्राम), एक चाँदी की हँसली (2.400 ग्राम), एक नाक का फूल, एक जोड़ी चाँदी के बरे, पैरों की उँगलियों के लिए 16 जोड़ी चाँदी के लच्छे, एक जोड़ी चाँदी की पहुँची, पीले रंग की धारियों वाली एक टेरीकॉट की कमीज, सफेद रंग की 2.25 मीटर लंबी खादी की तहमत तथा सफेद रंग की बाँहदार बनियान सम्मिलित थीं। प्राथमिकी में आगे यह भी उल्लेख है कि अभियुक्त घटना-स्थल पर एक लाठी, एक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अंगोछा, एक जोड़ी जूते, एक छैनी तथा एक सुम्मी छोड़ गए थे। सूचक अपनी घायल माता एवं बहनों को साथ लेकर थाना गया।

5. प्राथमिकी उसी गाँव के निवासी सात नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत की गई।
6. सूचक की माता, श्रीमती जया देवी का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 27.07.1982 को दोपहर 12:30 बजे जिला चिकित्सालय, बदायूँ में किया गया। चिकित्सीय परीक्षण में चिकित्सक ने बाएँ अग्रबाहु के मध्य भाग पर 8 सेमी × 8 सेमी का नील एवं सूजन तथा 1 सेमी × ½ सेमी × ¼ सेमी का चीरित घाव (एक्स-रे की सलाह सहित) पाया। दूसरी चोट सिर के मध्य भाग में, नासिका-मूल (Nasion) से 7 सेमी ऊपर, 6 सेमी × ½ सेमी × ½ सेमी का चीरित घाव थी। तीसरी चोट दाहिने हाथ के पृष्ठ भाग पर नील एवं सूजन थी, जिसके लिए भी एक्स-रे की सलाह दी गई। यह उल्लेख किया गया कि चोट संख्या 1 एवं 3 को निरीक्षणाधीन रखा गया तथा एक्स-रे कराने की सलाह दी गई। चोट संख्या 2 साधारण प्रकृति की थी तथा समस्त चोटें कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित होना पाई गईं और उनकी अवधि लगभग आधे दिन की थी। अनुपूरक चिकित्सीय प्रतिवेदन में यह पाया गया कि अल्ना (Ulna) अस्थि के मध्य तिहाई भाग में फ्रैक्चर था। यह चिकित्सीय प्रतिवेदन प्रदर्शित (Exhibited) नहीं किया गया।
7. सूचक की बहन श्रीमती ईश्वरवती का चिकित्सीय परीक्षण उसी दिन दोपहर 12:45 बजे जिला चिकित्सालय, बदायूँ में किया गया। उसके शरीर पर तीन चोटें पाई गईं। चोट संख्या-1 दाहिनी भौंह के भीतरी सिरे के ठीक ऊपर ललाट के दाहिने भाग पर 2½ सेमी × 1 सेमी आकार का अस्थि-गंभीर चीरित घाव था। दूसरी चोट दाहिने घुटने के बाहरी भाग पर 3 सेमी × 1½ सेमी का नील थी तथा तीसरी चोट ऊपरी होंठ के दाहिने भाग पर सूजनयुक्त नील थी। प्रतिवेदित किया गया कि सभी चोटें साधारण प्रकृति की थीं,

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जो कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित थीं तथा उनकी अवधि लगभग आधे दिन की थी। यह चोट प्रतिवेदन भी अभियोजन द्वारा सिद्ध नहीं किया गया। सूचक की दूसरी बहन नन्ही के संबंध में, यद्यपि यह कहा गया कि उसे थाना एवं चिकित्सालय ले जाया गया था, तथापि उसकी चोटों का कोई चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराया गया।

8. दिनांक 18.01.1983 को अभियुक्त अली हसन, नरैन एवं नन्दे के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395 के अपराध का आरोप निर्धारित किया गया, जबकि अभियुक्त ओमकार, हरपाल, लटूरी एवं मेहंदी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395 सहपठित धारा 397 के अंतर्गत आरोप निर्धारित किए गए। अभियुक्तों ने आरोपों से इंकार किया और विचारण का विकल्प चुना।
9. अभियोजन पक्ष ने धनपाल को पी.डब्ल्यू.-1 के रूप में प्रस्तुत किया, जो इस मुकदमे का सूचक है; ईश्वरी को पी.डब्ल्यू.-2 के रूप में, जो सूचक का भाई है; ईश्वरवती को पी.डब्ल्यू.-3 के रूप में, जो सूचक की बहन है; तथा नन्हे को पी.डब्ल्यू.-4 के रूप में, जो एक स्वतंत्र गवाह है। ये चारों तथ्यात्मक गवाह हैं। अभियोजन पक्ष ने इस प्रकरण की विवेचना करने वाले उपनिरीक्षक शिव शंकर शर्मा को पी.डब्ल्यू.-5 के रूप में प्रस्तुत किया।
10. अपीलकर्ताओं ने बचाव साक्ष्य के रूप में ग्राम प्रधान शंकर लाल को डी.डब्ल्यू.-1 के रूप में प्रस्तुत किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम पंचायत अड़वालगंज के सरपंच जगत पाल के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन पत्र दिनांक 10.02.1982 की प्रति, वाद संख्या 1 सन् 1982 में दाखिल की, जिसे मेहंदी हसन द्वारा धनपाल, नन्हे, रामलाल तथा राम प्रकाश के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था। उसमें यह उल्लेख था कि दिनांक 10.01.1982 को उक्त व्यक्तियों ने मेहंदी हसन, जो कि एक लोहार है और उक्त कार्य करके अपने

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

परिवार का पालन-पोषण करता था, की दुकान से दो छैनी, एक सुम्मी, 15 हथौड़े, 25 धान तथा 5 सदासी, कुल 48 वस्तुएँ उठा ले गए थे।

11. जीवित अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में इस बिंदु पर कोई विचार नहीं किया कि वास्तव में धनपाल के घर में डकैती हुई भी थी या नहीं, बल्कि यह मान लिया कि डकैती हुई थी और केवल अभियुक्तों की संलिप्तता के प्रश्न पर विचार किया। यह भी तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष के सभी तथ्यात्मक गवाह संबंधित एवं हितबद्ध गवाह हैं, क्योंकि पी.डब्ल्यू.-1 धनपाल, पी.डब्ल्यू.-2 ईश्वरी तथा पी.डब्ल्यू.-3 ईश्वरवती वास्तविक भाई-बहन हैं तथा उनके कथनों में भी असंगति है। पी.डब्ल्यू.-3 ईश्वरवती ने कहा कि अभियुक्त हरपाल, ओमकार तथा अली हसन ने उसे मारा-पीटा, जबकि पी.डब्ल्यू.-4 नन्हे ने मेहंदी, अली हसन तथा हरपाल को पहचानने की बात कही। सूचक ने सभी सात अभियुक्तों की पहचान की, जबकि उसने अपने मुख्य परीक्षण में कहा था कि उसके घर में 10 से 11 डकैत घुसे थे। अतः ये गवाह विश्वसनीय नहीं हैं, फिर भी विचारण न्यायालय ने उन्हें विश्वसनीय माना। आगे यह भी तर्क दिया गया कि डकैती हुई या नहीं, इस मूल प्रश्न का निर्णय किए बिना अभियुक्त-अपीलकर्ताओं को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। यदि प्राथमिकी के कथन को सत्य माना जाए, तो घटना-स्थल पर पाँच गोलियाँ चली थीं, जिनमें दो फायर डकैतों द्वारा तथा तीन फायर गंगा राम द्वारा अपनी लाइसेंसी बन्दूक से किए गए थे, किन्तु गंगा राम को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही उसकी बन्दूक की जाँच की गई और न ही खाली कारतूस बरामद किए गए। विवेचक ने भूमि विक्रय से प्राप्त ₹3,000/- अग्रिम तथा प्याज की बिक्री से प्राप्त ₹3,000/- की राशि के संबंध में कोई दस्तावेज एकत्र नहीं किया। यह भी तर्क दिया गया कि अभियुक्त-अपीलकर्ता उसी गाँव के निवासी और पारिवारिक व्यक्ति हैं

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

तथा उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, फिर भी विचारण न्यायालय ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि एक ही गाँव के व्यक्ति खुले चेहरे से डकैती नहीं कर सकते। अभियुक्तों ने यह भी कहा कि उन्हें गाँव की गुटबंदी, पूर्व शत्रुता तथा प्रधान पद के चुनाव में अभियुक्त पक्ष के प्रत्याशी शंकर लाल की विजय और सूचक पक्ष के प्रत्याशी राम प्रकाश की पराजय के कारण झूठा फँसाया गया है। यह भी कहा गया कि लूटे गए माल की कोई बरामदगी नहीं हुई और यदि तीन अभियुक्त लाठियाँ लिए हुए थे, तो घटनास्थल पर एक लाठी छूट जाने का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। सूचक ने उस गठरी के संबंध में भी कुछ नहीं बताया, जिसमें कथित रूप से लूटा गया माल ले जाया गया था। अंततः यह प्रस्तुत किया गया कि चार अपीलकर्ताओं का पहले ही निधन हो चुका है और शेष जीवित अपीलकर्ता 70 वर्ष से अधिक आयु के हैं, अतः उन्हें इस मिथ्या अभियोग से दोषमुक्त किया जाए और उनकी अपील स्वीकार की जाए।

12. विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में **Balbir and others Vs. State of U.P.**, निर्णीत दिनांक 09.07.2020, आपराधिक अपील संख्या 648 सन् 1983 (विशेष रूप से पैरा संख्या 6, 9, 10, 11 एवं 12), **Ram Singh Vs. State**, निर्णीत दिनांक 31.08.2018, आपराधिक अपील संख्या 3152 सन् 1982 (विशेष रूप से पैरा संख्या 7, 8, 11, 19, 20 एवं 21) तथा **Rama Shanker and another Vs. State of U.P.**, निर्णीत दिनांक 19.07.2022, आपराधिक अपील संख्या 2269 सन् 1982 (विशेष रूप से पैरा संख्या 18, 20, 21, 22 एवं 23) के निर्णयों पर भरोसा किया है। **Balbir (उपरोक्त)** तथा **Rama Shanker (उपरोक्त)** के निर्णय वर्तमान तथ्यों पर लागू नहीं होते, क्योंकि उन मामलों में पाँच से कम व्यक्तियों द्वारा डकैती किए जाने का प्रश्न विचाराधीन था।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

13. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पी.डब्ल्यू.-1 धनपाल द्वारा सात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिन्हें सूचक के घर से बाहर निकलते समय पहचान लिया गया था। घायल गवाह ईश्वरवती तथा स्वतंत्र गवाह नन्हे ने विशेष रूप से तीन-तीन अभियुक्तों की पहचान की है। अली हसन एवं हरपाल की पहचान इन दोनों गवाहों ने की है, जबकि ओमकार की पहचान पी.डब्ल्यू.-3 ईश्वरवती तथा मेहंदी की पहचान पी.डब्ल्यू.-4 नन्हे द्वारा की गई है। गवाहों के कथनों से अभियुक्त-अपीलकर्ताओं की संलिप्तता तथा उनके द्वारा डकैती किया जाना स्पष्ट है। समाज में सामान्यतः यह प्रवृत्ति होती है कि डकैती की घटना देखने वाले सभी व्यक्ति न्यायालय में गवाही देने के लिए इच्छुक नहीं होते, क्योंकि उन्हें शत्रुता का भय रहता है और अभियुक्त-अपीलकर्ता उसी गाँव के निवासी हैं। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि विचारण न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का समुचित मूल्यांकन करते हुए दोषसिद्धि दर्ज की है। यह भी कहा गया कि टॉर्च की रोशनी अभियुक्तों की पहचान करने के लिए पर्याप्त थी। पुलिस ने नन्हे सिंह, रामलाल, राम प्रकाश, नन्हे राम तथा धनपाल से बरामद टॉर्चों तथा उनकी वापसी का मेमो तैयार किया था। इसके अतिरिक्त, धनपाल के घर में लालटेन जल रही थी, जो अभियुक्तों की पहचान के लिए प्रकाश का स्रोत थी। यहाँ तक कि यदि कोई प्रकाश का स्रोत न भी हो, तब भी ग्रामीण अपने सह-ग्रामीणों को आसानी से पहचान सकते हैं। झूठे फँसाए जाने के प्रश्न पर भी विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में उचित रूप से विचार किया है और यह ध्यान में रखा है कि गवाहों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि अभियुक्त-अपीलकर्ता ग्राम प्रधान शंकर लाल के समर्थक हैं, तथा दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक अथवा ग्रामीण प्रतिद्वंद्विता के अस्तित्व को नकार दिया है। अतः यह निवेदन किया गया कि अपील निरस्त किए जाने योग्य है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

14. इस न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख का अवलोकन किया है।

15. वर्तमान अपील में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का समुचित मूल्यांकन करते हुए अभियुक्त-अपीलकर्ताओं को डकैती तथा डकैती करते समय मृत्यु अथवा गंभीर चोट पहुँचाने के प्रयास के अपराध में विधिसम्मत रूप से दोषसिद्ध किया है।

16. विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय के प्रारम्भ में ही यह टिप्पणी की है कि डकैती की घटना का तथ्य किसी विवाद का विषय नहीं है। यह टिप्पणी इस आधार पर की गई कि विचारण न्यायाधीश के अनुसार डकैती की घटना के तथ्य को अभियुक्तों द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी। विद्वान विचारण न्यायाधीश की यह टिप्पणी साक्ष्य के मूल्यांकन के विधिक सिद्धांतों के प्रतिकूल है, क्योंकि अभियुक्त-अपीलकर्ताओं ने विचारण के प्रारम्भ से ही सूचक धनपाल के घर में डकैती किए जाने के आरोपों का खण्डन किया था और साथ ही यह भी कहा था कि उन्हें दलगत राजनीति तथा पूर्व शत्रुता के कारण झूठा फँसाया गया है। अतः विचारण न्यायालय का प्रथम और प्रमुख कर्तव्य यह था कि वह उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह परीक्षण करे कि क्या वास्तव में सूचक धनपाल के घर में डकैती की घटना घटित हुई थी।

17. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, जैसे कि प्राथमिकी, स्थल योजना तथा तथ्यात्मक गवाहों के कथनों से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित रूप से परिलक्षित होते हैं :-

1. पी.डब्ल्यू.-1 धनपाल, जो इस मुकदमे का सूचक है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि उसके घर में डकैती करने के लिए 10 से 11 डकैत घुसे थे, जबकि लिखित सूचना में केवल सात डकैतों के नाम विशेष रूप से अंकित किए गए हैं, जो उसी गाँव के निवासी हैं। पी.डब्ल्यू.-3 ईश्वरवती ने भी डकैती करने वाले व्यक्तियों की संख्या सात बताई है। ईश्वरवती (पी.डब्ल्यू.-3) अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3) के कथन से यह भी स्पष्ट होता है कि डकैती के दौरान डकैतों ने बन्दूक से फायर किया था, जबकि पी.डब्ल्यू.-1 धनपाल ने कहा है कि डकैती के उपरान्त घर से बाहर निकलते समय डकैतों ने दो फायर किए और उसके प्रत्युत्तर में गंगा राम ने तीन फायर किए। विवेचक ने न तो अभियुक्तों द्वारा और न ही गंगा राम द्वारा चलाए गए फायरों से संबंधित छर्ने अथवा खाली कारतूस एकत्र किए। लिखित सूचना तथा पी.डब्ल्यू.-1 धनपाल के कथन में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि गंगा राम ने अपनी लाइसेंसी बन्दूक से फायर किया था। विवेचक द्वारा गंगा राम की बन्दूक का निरीक्षण करने का मुख्य उद्देश्य यह सत्यापित करना था कि सूचक का यह कथन सही है या नहीं कि दिनांक 26/27.07.1982 की मध्यरात्रि में वास्तव में डकैती की घटना घटित हुई थी।

II. विवेचक ने उस टूटे हुए ताले को भी बरामद नहीं किया, जिसके बारे में कहा गया था कि डकैतों ने डकैती करते समय उसे तोड़ दिया था।

III. विवेचक ने इस तथ्य की भी कोई जाँच नहीं की कि सूचक के घर में ₹6,000/- नकद रखे थे, जिसके बारे में सूचक ने विशेष रूप से कहा था कि यह राशि प्याज की बिक्री से प्राप्त धन तथा भूमि विक्रय के अग्रिम के रूप में प्राप्त हुई थी और यही धनराशि उसके घर में डकैती किए जाने का कारण थी।

IV. सूचक धनपाल ने प्राथमिकी में तथा अपने कथन में अत्यंत स्पष्टता से अभियुक्त-अपीलकर्ताओं द्वारा धारण किए गए हथियारों का उल्लेख किया है। उसके अनुसार मेहंदी के पास बन्दूक थी, हरपाल, ओमकार एवं लटूरी के पास देशी तमंचे थे तथा अन्य अभियुक्तों के हाथों में लाठियाँ थीं। विवेचक पी.डब्ल्यू.-5 उपनिरीक्षक शिव शंकर शर्मा ने उन सभी वस्तुओं की बरामदगी का मेमो तैयार किया, जिन्हें अभियुक्त-अपीलकर्ताओं द्वारा सूचक के घर में छोड़ दिया जाना बताया गया था और उनमें एक लाठी भी सम्मिलित थी। यदि एक लाठी घर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

में छूट गई थी, तो सूचक ने तीन अभियुक्तों के हाथों में लाठी कैसे देखी? इसके विपरीत, पी.डब्ल्यू.-3 श्रीमती ईश्वरवती ने कहा कि अभियुक्तों में से एक के हाथ में चाकू था और उसे चाकू से चोट लगी थी। इस स्तर पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि ईश्वरवती को चाकू से कोई चोट नहीं लगी थी, जैसा कि जिला चिकित्सालय, बदायूँ में किए गए उसके चिकित्सीय परीक्षण से परिलक्षित होता है। यद्यपि यह चिकित्सीय परीक्षण अभियोजन द्वारा सिद्ध नहीं किया गया, तथापि वह अभिलेख पर उपलब्ध है और उससे यह स्पष्ट होता है कि ईश्वरवती की सभी चोटें साधारण प्रकृति की थीं तथा कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित थीं।

V. डकैती के संबंध में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य प्राथमिकी के साधारण अवलोकन से भी परिलक्षित होता है, जिससे ज्ञात होता है कि लगभग नौ वस्तुएँ डकैतों द्वारा लूटी गई थीं, किन्तु किसी भी गवाह ने उन वस्तुओं की गठरी को नहीं देखा और न ही यह बताया कि अभियुक्त उन वस्तुओं को किस प्रकार अपने साथ ले गए। यह तथ्य न तो पी.डब्ल्यू.-1 धनपाल के कथन से और न ही पी.डब्ल्यू.-3 श्रीमती ईश्वरवती के कथन से परिलक्षित होता है, जबकि कहा गया है कि वह घर के भीतर उपस्थित थी।

18. उपर्युक्त सभी बिंदु गंभीर चिंता के विषय हैं और विचारण न्यायाधीश ने इस प्रश्न पर साक्ष्यों का परीक्षण नहीं किया कि वास्तव में सूचक धनपाल के घर में डकैती हुई थी या उसी गाँव के निवासी अभियुक्त-अपीलकर्ताओं को एक मिथ्या डकैती के प्रकरण में झूठा फँसा दिया गया था। साक्ष्यों में उपर्युक्त सभी त्रुटियाँ भौतिक एवं महत्वपूर्ण प्रकृति की हैं, क्योंकि एक ओर डकैती किए जाने का आरोप है और दूसरी ओर अभियुक्त-अपीलकर्ताओं द्वारा झूठे फँसाए जाने का प्रतिरक्षा कथन है।

19. विचारण न्यायाधीश ने साक्ष्यों का मूल्यांकन करते समय तथ्यात्मक गवाहों की गवाही को, जिन्होंने विशेष रूप से अभियुक्त-अपीलकर्ताओं का नाम लेकर उन्हें डकैती का

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अपराधी बताया था, उनकी जिरह के माध्यम से उनके कथनों की सत्यता एवं विश्वसनीयता का परीक्षण किए बिना ही स्वीकार कर लिया।

20. अतः गवाहों के कथनों पर एक-एक करके विचार किया जाना आवश्यक है।

21. पी.डब्ल्यू.-1 धनपाल ने कहा है कि दिनांक 26/27.07.1982 की मध्यरात्रि में उसके घर पर डकैती हुई थी। वह पशुशाला में सो रहा था, तभी उसे अपनी माता एवं बहनों की चीख-पुकार सुनाई दी, जिसे सुनकर वह घर की ओर आया। अभिलेख पर, यहाँ तक कि स्थल योजना में भी, ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह प्रदर्शित हो कि वह पशुशाला कहाँ स्थित थी, जहाँ सूचक धनपाल और ईश्वरी सो रहे थे, अथवा यह कि जहाँ वह सो रहा था वहाँ तक उसके घर से उसके परिवारजनों की चीखें सुनाई देने की संभावना थी। उसने आगे कहा कि अपनी माता एवं बहनों की चीखें सुनकर वह अपने भाई ईश्वरी, नन्हे सिंह, रामलाल, प्रकाश तथा अन्य ग्रामीणों के साथ टॉर्च जलाकर घर की ओर दौड़ा और देखा कि डकैत उसकी माता एवं बहनों को मार रहे थे तथा कीमती सामान लूट रहे थे। यह कथन दर्शाता है कि यह गवाह उस समय घर में पहुँचा जब डकैत डकैती कर रहे थे। जिरह में उसने स्वीकार किया कि प्राथमिकी का लेखक जगदीश, भोले का पुत्र है। लगभग 12 वर्ष पूर्व भोले के घर में भी डकैती हुई थी, जिसमें अभियुक्त हरपाल के पिता को अभियुक्त बनाया गया था, किन्तु न्यायालय द्वारा उन्हें बरी कर दिया गया था। उसने यह भी कहा कि हाल के प्रधान पद के चुनाव में उसने राम प्रकाश का समर्थन किया था, जो शंकर लाल से चुनाव हार गया, किन्तु उसे यह जानकारी नहीं थी कि नरैन, ओमकार, नन्दे तथा लटूरी शंकर लाल के पक्ष में थे या नहीं। झूठे फँसाए जाने के पीछे गाँव की गुटबंदी एवं राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का कारण बताया गया। उसने यह भी कहा कि वह सभी अभियुक्तों एवं उनके परिवारों को जानता था। उसने यह भी कहा कि राजवती, रामलाल की पुत्री है, किन्तु उसे यह

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जानकारी नहीं थी कि लटूरी की बहन ने राजवती के साथ किसी भूमि-व्यवहार में प्रवेश किया था, जो पूर्ण नहीं हुआ और अग्रिम धन की वापसी को लेकर दोनों के बीच विवाद था। उसने कहा कि उसने घटना रामलाल के दरवाजे से देखी थी और ईश्वरी उसके साथ था। स्थल योजना के अनुसार, रामलाल के दो मकान गली के उत्तर में स्थित हैं और एक मकान का द्वार उत्तर-दक्षिण गली की ओर पूर्व दिशा में खुलता है तथा दूसरे मकान का द्वार पूर्व-पश्चिम गली की ओर दक्षिण दिशा में खुलता है। इस गवाह का मकान गली के दक्षिण में स्थित है तथा उसके घर का द्वार भी उत्तर-दक्षिण गली की ओर पूर्व दिशा में खुलता है। स्थल योजना से यह भी स्पष्ट होता है कि अभियुक्त-अपीलकर्ता इसी पूर्वमुखी द्वार से बाहर निकले और दक्षिण दिशा की ओर चले गए। यदि यह सत्य माना जाए कि गवाह रामलाल के मकान के दरवाजे पर खड़े थे, चाहे वह पश्चिमी मकान हो या पूर्वी, तो वे अभियुक्तों के चेहरे नहीं देख सकते थे। इसके अतिरिक्त, जिस स्थान से गवाहों ने अभियुक्तों को देखने का दावा किया है, उसे स्थल योजना में दर्शाया ही नहीं गया है। पी.डब्ल्यू.-3 ईश्वरवती ने कहा कि चार अभियुक्तों ने अपने चेहरे ढके हुए थे, इसलिए वह हरपाल, ओमकार तथा अली हसन के अतिरिक्त अन्य अभियुक्तों के चेहरे नहीं देख सकी, जिन्होंने उसके साथ मारपीट की थी। पी.डब्ल्यू.-1 ने आगे कहा कि डकैती की घटना के बाद मेहंदी हसन ने पंचायत में एक शिकायत प्रस्तुत की थी। इस शिकायत पर विद्वान विचारण न्यायाधीश ने कोई विचार नहीं किया, जबकि वह प्रदर्श क-1 के रूप में अंकित है। शिकायत की प्रति से स्पष्ट होता है कि यह अली हसन, जो एक लोहार है, द्वारा धनपाल, नन्हे, रामलाल एवं राम प्रकाश के विरुद्ध दिनांक 10.01.1982 की घटना के संबंध में दायर की गई थी, जिसमें उसकी छैनी, सुम्मी, हथौड़ा, घन तथा सदासी चोरी किए जाने का आरोप था, जिसके प्रत्यक्षदर्शी लखी एवं मुरारी थे। विचारण न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की कि आवेदन में

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रस्तुत किए जाने की तिथि एवं समय का उल्लेख नहीं है, किन्तु उस पर सरपंच जगपाल के हस्ताक्षर दिनांक 10.02.1982 अंकित हैं और यह शिकायत की प्रति है, जो वाद संख्या 1 सन् 1982 के रूप में पंजीकृत है। अतः यह आवेदन घटना की तिथि से पूर्व का है।

22.पी.डब्ल्यू.-2 ईश्वरी ने कहा कि डकैती के दौरान डकैतों ने फायर किया था; उसकी माता ने किसी डकैत का नाम नहीं बताया; उसकी बहन को चाकू से चोट लगी थी; सात डकैत घर में घुसे थे और उनके पास बन्दूक, लाठी तथा चाकू थे। उसने अभियुक्तों के पास देशी तमंचे होने का कोई उल्लेख नहीं किया, जैसा कि पी.डब्ल्यू.-1 धनपाल ने कहा था, बल्कि उसने केवल अभियुक्तों के पास चाकू होने की बात कही, संभवतः इसलिए कि पी.डब्ल्यू.-3 ईश्वरवती ने स्वयं को चाकू से घायल होना बताया था।

23.पी.डब्ल्यू.-3 ईश्वरवती ने कहा कि उसे लाठी से नहीं बल्कि चाकू से चोट लगी थी। उसके चिकित्सीय परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि उसे (1) दाहिनी भौंह के भीतरी सिरे के ठीक ऊपर ललाट के दाहिने भाग पर $2\frac{1}{2}$ सेमी × 1 सेमी का अस्थि-गंभीर चीरित घाव, (2) दाहिने घुटने के बाहरी भाग पर 3 सेमी × $1\frac{1}{2}$ सेमी का नील तथा (3) ऊपरी होंठ के दाहिने भाग पर सूजनयुक्त नील था। चिकित्सक की राय के अनुसार सभी चोटें कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित थीं। अतः ये चोटें इस गवाह के कथन का समर्थन नहीं करतीं। उसने आगे कहा कि जब डकैतों ने उसके गले से उसकी हँसली छीनी, तब उसे कोई चोट नहीं लगी।

24.पी.डब्ल्यू.-4 नन्हे ने कहा कि वह केवल तीन व्यक्तियों, अर्थात् मेहंदी, अली हसन तथा हरपाल को पहचान सका। मेहंदी के हाथ में बन्दूक थी तथा अली हसन एवं हरपाल के पास देशी तमंचे थे। जिरह के दौरान उसने कहा कि धनपाल जातिगत संबंध से उसका

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

भाई है। उसने यह भी कहा कि सात डकैतों में से केवल तीन की पहचान हुई थी और चार ने अपने चेहरे ढके हुए थे, इसलिए उन्हें पहचाना नहीं जा सका।

25. यदि सभी तथ्यात्मक गवाहों के कथनों पर विचार किया जाए, तो उनसे जो निष्कर्ष निकलते हैं, वे यह हैं कि अभियुक्तों द्वारा चेहरे ढकने, हथियार धारण करने तथा चोटें पहुँचाने के संबंध में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। पी.डब्ल्यू.-1 धनपाल ने कहा कि उसकी दोनों बहनों को चोटें आई थीं, किन्तु अपनी लिखित सूचना तथा न्यायालय में दिए गए कथन में उसने कहा कि केवल ईश्वरवती और उसकी माता को ही चोटें आई थीं। अभियुक्त-अपीलकर्ता उसी गाँव के निवासी हैं और सूचक तथा गवाहों के परिचित हैं। उनमें से अधिकांश मजदूर हैं और हाल के प्रधान पद के चुनाव, पूर्व शिकायत अथवा भूमि विवाद के कारण सूचक से शत्रुता रखते थे। यह विश्वास करना कठिन है कि ऐसे अभियुक्त, जिनके परिवार उसी गाँव में रहते हैं, खुले चेहरे से गाँव के किसी व्यक्ति के घर में डकैती करने के लिए प्रवेश करेंगे। इसके अतिरिक्त, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बावजूद डकैती की कोई वस्तु बरामद नहीं हुई। विवेचक ने केवल गवाहों से टॉर्च बरामद की और उसी दिन उन्हें लौटा दी। टॉर्च की बरामदगी मात्र इस बात का पर्याप्त साक्ष्य नहीं है कि गवाहों ने डकैतों की पहचान की थी।

26. अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात् यह न्यायालय गवाहों की गवाही में महत्वपूर्ण विरोधाभास पाता है, जिसका लाभ अभियुक्तों को दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, अभियुक्त-अपीलकर्ता ऐसे कुख्यात डकैत नहीं थे, जिनके विरुद्ध डकैती का कोई अन्य मुकदमा पंजीकृत हो और जो निडर होकर खुले चेहरे से किसी घर में प्रवेश करें। अतः विचारण न्यायाधीश की टिप्पणी न्यायिक विवेक को संतुष्ट नहीं करती।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

27. जितेन्द्र कुमार मिश्रा उर्फ जितू बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि यद्यपि अपीलीय न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने में सावधानी बरतनी चाहिए, तथापि जहाँ अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त का अपराध संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है और विचारण न्यायालय द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण से भिन्न कोई युक्तिसंगत दृष्टिकोण संभव है, वहाँ अपीलीय न्यायालय को अभियुक्त को संदेह का लाभ देने से नहीं हिचकना चाहिए।
28. अतः जीवित अपीलकर्ताओं को डकैती अथवा किसी लघुतर अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता और उन्हें संदेह का लाभ देते हुए डकैती तथा डकैती करते समय मृत्यु अथवा गंभीर चोट पहुँचाने के प्रयास के अपराध से दोषमुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों का त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन किया है। फलस्वरूप, विशेष सत्र परीक्षण संख्या 157 सन् 1982, जो मुकदमा अपराध संख्या 321, दिनांक 27.07.1982, थाना उझानी, जनपद बदायूँ, धारा 395 एवं 397 भारतीय दण्ड संहिता से उत्पन्न हुआ था, में पारित दिनांक 29.08.1983 का दोषसिद्धि निर्णय निरस्त किया जाता है।
29. अपील स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ता संख्या-1 अली हसन को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395 के अपराध से तथा अपीलकर्ता संख्या-5 हरपाल एवं अपीलकर्ता संख्या-6 लटूरी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395 सहपठित धारा 397 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।
30. अभिलेख इस निर्णय की प्रति सहित तत्काल अधीनस्थ न्यायालय को वापस प्रेषित किया जाए।

(न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

फरवरी 16, 2026

शिवांगी

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।